क्रम संख्या-- 469 (क)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1--खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 अक्टूबर, 1980

आश्विन 11, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग--1

संख्या 2753/सत्रह-वि0-1--71-80

लखनऊ, 3 अक्टूबर, 1980

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980 पर दिनांक 1 अक्टूबर, 1980 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधि सूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिये अध्यापकों के चयन के लिये सेवा आयोग स्थापित करने, और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

अध्याय--एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें ।

परिभाषायें

2--इस अधिनियम में--

(क) किसी अध्यापक के सम्बन्ध में "नियुक्ति" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन कोई नियुक्ति नहीं है;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का संपादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है;

(ग) "महाविद्यालय" का तात्पर्य किसी ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से है जिसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार दिया गया हो, और इसके अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित कोई महाविद्यालय भी है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा पोषित कोई महाविद्यालय नहीं है ;

(घ) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से है ;

(ङ) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) से है और इसके अन्तर्गत उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत संयुक्त शिक्षा निदेशक या उप शिक्षा निदेशक भी है;

(च) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत उसका अध्यक्ष भी है ;

(छ) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित परन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में परिभाषित अन्य शब्दों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं ।

अध्याय--दो

आयोग की स्थापना

आयोग की स्थापना

3--(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, एक आयोग स्थापित किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कहलायेगा ।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा ।

आयोग की संरचना

4--(1) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और कम से कम दो और अधिक से अधिक चार अन्य सदस्य होंगे ।

(2) सदस्यों में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार की राय में, सार्वजनिक जीवन में या न्यायिक या प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण पद पर हो या रहा हो, और अन्य व्यक्तियों को अध्यापन का निम्नांकित अनुभव होगा, अर्थात्--

(क) किसी विश्वविद्यालय के आचार्य के रूप में; अथवा

(ख) कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिये किसी महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में; अथवा

(ग) कम से कम पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिये किसी महाविद्यालय के अध्यापक के रूप में ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक से उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायगा ।

सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

5--(1) प्रत्येक सदस्य, जब तक कि वह उन नियमों के अधीन जिन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाया जाय, उस रूप में बने रहने के लिये निरर्हित न हो जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति दो लगातार पदावधियों से अधिक के लिये आयोग का सदस्य नहीं होगा ।

(3) आयोग का कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय ।

(4) सदस्यों का पद पूर्णकालिक होगा और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दें ।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति यदि उसने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, न तो आयोग का सदस्य नियुक्त किया जायगा और न इस रूप में बना रहेगा ।

सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

6--(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि वह,--

(क) दिवालिया न्याय-निर्णीत किया जाय, या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से भिन्न किसी वैतनिक रोजगार में कार्य करे, या

(ग) राज्य सरकार के राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिये अनुपयुक्त हो ।

स्पष्टीकरण---जहां कोई सदस्य किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, सदस्य से भिन्न रूप में किसी प्रकार से सम्बद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसके लाभ में या उससे प्राप्त होने वाले किसी फायदे या उपलब्धि में किसी प्रकार से भागीदार हो वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जायगा ।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

(3) राज्य सरकार किसी ऐसे सदस्य को जिसके सम्बन्ध में इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही अनुध्यात हो, उसके पद से निलम्बित कर सकती है ।

सहयुक्त करने की शक्ति

7---आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये जो धारा 31 के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायं, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह उस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये लेना चाहे ।

आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य न होंगी

8---आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझी जायगी कि:--

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है, या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है, या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका सार पर कोई प्रभाव न पड़े ।

आयोग का कर्मचारिवर्ग

9---(1) आयोग का सचिव राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायगा, और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, समय-समय पर अवधारित करें ।

(2) ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त जारी करें, आयोग ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिये आवश्यक समझे, और सेवा के ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें आयोग उचित समझे, नियुक्त कर सकता है ।

आयोग के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण

10---आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव, या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे ।

अध्याय---तीन

आयोग के कृत्य

शक्तियां और कर्तव्य

11---आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात्---

(क) महाविद्यालयों में अध्यापकों के भर्ती की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना ;

(ख) ऐसे अध्यापकों क रूप में नियुक्ति के लिये जहां आवश्यक समझा जाय परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार लेना और अभ्यर्थियों का चयन करना ;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विशेषज्ञों का चयन करना और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना ;

(घ) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए प्रबन्धतंत्र की सिफारिश करना ।

(ङ) महाविद्यालयों से अध्यापक वर्ग की सदस्य संख्या और उनमें अध्यापकों की नियुक्ति, पदच्युति, हटाये जाने, सेवा समाप्ति या पंक्तिच्युति के सम्बन्ध में नियतकालिक विवरणियां या अन्य सूचनाएं प्राप्त करना ;

(च) विशेषज्ञों और परीक्षकों की उपलब्धियां और यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते नियत करना ;

(छ) आयोग को सौंपी गयी निधि का प्रबन्ध करना ;

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जैसी विहित की जाय, या जो उपर्युक्त कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आनुषंगिक या साधक हों।

प्रबन्धतंत्र केवल आयोग की सिफारिशों पर नियुक्तियां आदि करेगा

12—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 या इसके अधीन बनायी गयी परिनियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी किसी महाविद्यालय के अध्यापक के रूप में प्रत्येक नियुक्ति, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित दिनांक के पश्चात् प्रबन्धतंत्र द्वारा केवल आयोग की सिफारिश पर की जायगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अध्यापक की नियुक्ति के प्रयोजन के लिये प्रबन्धतंत्र रिक्ति की सूचना आयोग को देगा।

(3) किसी महाविद्यालय के अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के चयन की रीति ऐसी होगी जैसी विनियमों द्वारा अवधारित की जाय, परन्तु आयोग प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकृष्ट करने की दृष्टि से उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों का राज्य में व्यापक प्रचार करेगा।

(4) इस धारा के उपबन्ध किसी ऐसे अध्यापक की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे जिससे सम्बन्धित रिक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 की उपधारा (10) के अनुसार विज्ञापित कर दी गयी हो।

(5) इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में की गयी प्रत्येक नियुक्ति शून्य होगी।

आयोग की सिफारिश

13—(1) आयोग, धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन रिक्ति को अधिसूचित करने के पश्चात् यथाशीघ्र, अभ्यर्थियों का (परीक्षा सहित या रहित) साक्षात्कार करेगा, और अध्यापक के प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिये तीन से अनधिक अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करेगा। इन नामों को अधिमान क्रम में रखा जायगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी पद का कार्य भार ग्रहण करने में विफल रहें या जहां वे नियुक्ति के लिये अन्यथा अनुपलब्ध हो, वहां आयोग, प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर उक्त उपधारा के अधीन आयोजित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर उपयुक्त पाये गये दो तक और व्यक्तियों के नाम की सिफारिश कर सकता है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आयोग की प्रत्येक सिफारिश ऐसी सिफारिश के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।

नियुक्ति करने का कर्तव्य

14—(1) प्रबन्धतंत्र, धारा 13 के अधीन आयोग की सिफारिश की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर उस अभ्यर्थी को जिसका नाम अधिमान-क्रम में सबसे ऊपर हो, नियुक्ति पत्र जारी करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र में अनुमत समय के भीतर, या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जिसके लिये प्रबन्धतन्त्र इस निमित्त अनुज्ञा दे, पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे या जहां ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये अन्यथा अनुपलब्ध हो, वहां प्रबन्धतंत्र युक्तियुक्त अवधि के भीतर आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अगले अभ्यर्थी को नियुक्ति-पत्र जारी करेगा और यह प्रक्रिया तब तक दोहरायी जायगी जब तक कि इस प्रकार सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम निश्शेषित न हो जायं।

निदेशक द्वारा जांच

15—(1) जहां कोई व्यक्ति धारा 12 से 14 के अनुसार किसी महाविद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्ति पाने का हकदार हो, किन्तु उसे इसके लिये उपबन्धित समय के भीतर प्रबन्धतंत्र द्वारा इस प्रकार नियुक्त न किया जाय, तो वह निदेशक को उपधारा (2) के अधीन निदेश के लिये आवेदन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर निदेशक जांच कर सकता है, और यदि उसका समाधान हो जाय कि प्रबन्धतंत्र इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके आवेदक को अध्यापक के रूप में नियुक्त करने में विफल रहा है तो वह, आदेश द्वारा—

(क) प्रबन्धतंत्र से आवेदक को अध्यापक के रूप में तुरन्त नियुक्त करने और आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से उसे वेतन का भुगतान करने, और

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य से उससे अध्यापक के रूप में कार्य लेने, की अपेक्षा कर सकता है।

(3) ऐसे अध्यापक को देय वेतन की धनराशि, यदि कोई हो, निदेशक द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर, कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति

16—(1) जहां प्रबन्धतंत्र ने धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार आयोग को किसी रिक्ति की सूचना दी हो, और आयोग ऐसी सूचना के दिनांक से तीन मास के भीतर उक्त धारा की उपधारा (1) के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करने में विफल रहता है, वहां प्रबन्धतंत्र किसी अध्यापक पद के लिये विहित अर्हतायें रखने वाले व्यक्तियों में से किसी को पूर्णतया तदर्थ आधार पर अध्यापक नियुक्त कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी तदर्थ अध्यापक की नियुक्ति निम्नलिखित में से पूर्वतम दिनांक को समाप्त हो जायगी, अर्थात्—

(क) जब आयोग द्वारा सिफारिश किया गया अभ्यर्थी पद का कार्यभार ग्रहण कर ले;

(ख) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन आयोग की सिफारिश की प्राप्ति के दिनांक से दो मास की अवधि समाप्त हो जाय;

(ग) ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से ठीक पश्चात्वर्ती तीस जून।

सूचना मांगने की शक्ति

17—आयोग किसी महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से धारा 11 में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जैसी वह उचित समझे, और प्रबन्धतंत्र उसका अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

अभिलेख रजिस्टर आदि का निरीक्षण करने की शक्ति

18—प्रबन्धतंत्र के कब्जे में विद्यमान प्रत्येक अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज सचिव या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पहुंच में होंगे और वह किसी युक्तियुक्त समय पर किसी परिसर में जहां उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज होगा, प्रवेश कर सकता है और संगत अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और उनकी प्रतिलिपियां ले सकता है।

अध्याय—चार

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

आयोग को धनराशि संदत्त करना

19—राज्य सरकार, विधि द्वारा इस निमित्त सम्यक विनियोजन किये जाने के पश्चात्, आयोग को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जैसी इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आवश्यक समझी जाय।

आयोग की निधि

20—(1) आयोग की अपनी निधि होगी और राज्य सरकार द्वारा उसे संदत्त समस्त धनराशि और आयोग की समस्त प्राप्तियां उस निधि में जमा की जायेंगी और आयोग द्वारा सभी भुगतान उसी निधि से किये जायेंगे।

(2) उस निधि का सभी धन ऐसे बैंकों में जमा या ऐसी रीति से विनिहित, किया जायगा जैसा आयोग, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए विनिश्चित करे।

(3) आयोग ऐसी धनराशियां व्यय कर सकता है जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के लिये उचित समझे, और ऐसी धनराशियों को आयोग की निधि से देय व्यय माना जायगा।

वार्षिक रिपोर्ट

21—आयोग, प्रतिवर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलापों का सही और पूरा विवरण दिया जायगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी, और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

22—(1) आयोग अपने लेखे के सम्बन्ध में, ऐसी लेखा बहियां और अन्य बहियां ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, रखवायेगा।

(2) आयोग अपना वार्षिक लेखा बन्द करने के पश्चात् यथाशीघ्र लेखा विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा और उसे नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखा परीक्षा के लिये महालेखाकार को ऐसे दिनांक तक अग्रसारित करेगा जैसा राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से अवधारित करे।

(3) आयोग का वार्षिक लेखा और तत्संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रसारित की जायगी और सरकार उसे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय—पांच

प्रकीर्ण

प्रत्यायोजन

23—आयोग धारा 31 के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अपने अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य या अधिकारी को आयोग द्वारा या आयोग में किये गये कार्य के सामान्य अधीक्षण और उसके संबंध में निदेश देने की अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है, जिसके अन्तर्गत कार्यालय के अनुरक्षण और आयोग के आन्तरिक प्रशासन के संबंध में किये गये व्यय से संबंधित शक्ति भी है।

अल्पसंख्यक संस्थाओं को छूट

24—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय (जिसके प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार हो) का प्रबन्धतंत्र आयोग के और संबंधित विश्वविद्यालय के, केवल अनुमोदन के अधीन रहते हुये, किसी अध्यापक को नियुक्त, पदच्युत, हटाने, उसकी सेवा समाप्त करने या उसे पंक्तिच्युत करने का हकदार होगा।

अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये दंड

25—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों, या निदेशक द्वारा पारित आदेशों, का अनुपालन करने में विफल रहे, या इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी अध्यापक की नियुक्ति करें, दोष सिद्ध होने पर ऐसी अवधि के लिये कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडनीय होगा।

सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहने या जानबूझ कर बाधा पहुंचाने के लिये दंड

26—यदि कोई व्यक्ति—

(क) जानबूझ कर आयोग द्वारा विधिपूर्वक अपेक्षित कोई विवरणी या सूचना रोक रखता है या उसके लिये अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहता है ;

(ख) किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के सभी या किसी उपलब्ध को सम्यक रूप से कार्यान्वित करने में जानबूझ कर बाधा पहुंचाता है;

दोष सिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के लिये कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माने से जो एक हजार रुपया तक हो सकता है या दोनों से दंडनीय होगा।

सोसाइटी द्वारा अपराध

27—(1) यदि धारा (25) या धारा (26) के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी हो तो सोसाइटी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए सोसाइटी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दंड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस धारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध उस सोसाइटी के किसी सदस्य की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या ऐसा अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, वहां ऐसा सदस्य भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दंड दिया जा सकेगा।

अभियोजन का वर्जन

28—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन राज्य सरकार की या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की जिसे निःशंक इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट करे, पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जायगा।

सद्भावना से किये गये का संरक्षण

29—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

30—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे। — अधिनियम का अधिभावी प्रभाव

31—(1) आयोग, चयन के आयोजन, जहां आवश्यक हो परीक्षाओं के संचालन और साक्षात्कार के आयोजन के लिए, फीस विहित करने के लिए, और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, विनियम बना सकता है। — विनियम बनाने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अधिनियम या धारा 32 के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

32—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। — नियम बनाने की शक्ति

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No 2753 (2)/XVII-V—1-71-80

Dated Lucknow, October 3, 1980

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchchatar Shiksha Sewa Ayog Adhiniyam, 1980 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1980) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 1, 1980.

THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION ACT, 1980

(U. P. Act No. 16 of 1980)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to establish a service commission for the selection of teachers for appointment to the colleges affiliated to or recognised by a University, and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-first Year of the Republic of India, as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980. — Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

2. In this Act— — Definitions.

(*a*) "appointment" in relation to a teacher does not include an appointment under sub-section (3) of section 31 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 ;

(*b*) "Chairman" means the Chairman of the Commission and includes any other person performing, in the absence of the Chairman for the time being the functions of the Chairman ;

(*c*) "college" means an affiliated or associated college to which the privileges of affiliation or recognition, as such has been granted by a University, and includes a college maintained by a local authority but does not include a college maintained by the State Government;

(*d*) "Commission" means the Higher Services Commission established under section 3;

(*e*) "Director" means the Director of Education (Higher Education) and includes Joint Director of Education or Deputy Director of Education authorised by him in this behalf;

(*f*) "Member" means a member of the commission and includes its Chairman;

(*g*) other words used and not defined in this Act but defined in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER II

Establishment of the Commission

Establishment of the Commission.

3. (1) With effect from such date as the State Government may by notification appoint in this behalf, there shall be established a Commission to be called the "Uttar Pradesh Higher Education Services Commission".

(2) The Commission shall be a body corporate.

Composition of the Commission.

4. (1) The Commission shall consist of a Chairman and not less than two and not more than four other members to be appointed by the State Government.

(2) Of the members, one shall be a person who occupies or has occupied, in the opinion of the State Government, a position of eminence in public life or in Judicial or Administrative Services others shall have teaching experience as:

(*a*) Professor of any Univrsity ; or

(*b*) Principal of a college for a period of not less than ten years ; or

(*c*) Teacher of a college for a period of not less than fifteen years.

(3) Every appointment under this section shall take effect from the date on which it is notified by the State Government.

Terms of office and conditions of service of members.

5. (1) Every member shall, unlss he becomes disqualified for continuing as such under the rules that may be made under this Act hold office for a term of three years.

(2) No person shall be a member of the Commission for more than two consecutive terms.

(3) A member of the Commission may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government, but he shall continue in office until his resignation is accepted by the State Government.

(4) The office of the members shall be whole-time and the terms and conditions of their service shall be such as the State Government may by order direct.

(5) Notwithstanding anything contained in this section, no person shall be appointed or continue as a member of the Commission, if he has attained the age of sixty-two years.

Powers of the State Government to remove the member.

6. (1) The State Government may, by order, remove from office any member, if he—

(*a*) is adjudged an insolvent; or

(*b*) engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office; or

(*c*) is in the opinion of the State Government unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or of proved misconduct.

Explanation—Where a member becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of any University or College or participate in any way in the profits thereof or in any benefit or emolument arising therefrom, otherwise than as a member, he shall, for the purpose of clause (*c*) be deemed to be guilty of misconduct.

(2) The procedure for the investigation and proof of misconduct under this section shall be such as may be prescribed.

(3) The State Government may suspend from office any member in respect of whom any action is contemplated under this section.

Power to associate.

7. The Commission may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations made under section 31, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provisions of this Act.

Proceedings of the Commission not to be invalidated.

8. No act or proceeding of the Commission shall be deemed to be invalid merely on the ground of—

(*a*) any vacancy or defect in the constitution of the Commission ; or

(*b*) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as a member thereof ; or

(*c*) any defect or irregularity in such act or proceeding not affecting the substance.

Staff of the Commission:

9. (1) The Secretary of the Commission shall be appointed by the State Government on deputation for a term not exceeding five years, and other conditions of his service shall be such as the State Government may, from time to time, determine.

(2) Subject to such drections as may be issued by the State Government in this behalf, the Commission may appoint such other employees as it may think necessary for the efficient performance of its functions under this Act, and on such terms and conditions of service as the Commission think fit.

Authentication of the orders of the Commission.

10. All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary, or any other officer authorised by the Commission in this behalf.

CHAPTER III

Functions of the Commission

Powers and duties.

11. The Commission shall have the following powers and duties, namely—

(*a*) to prepare guidelines on matters relating to the method of recruitment of teachers in Colleges ;

(*b*) to conduct examinations where considered necessary, hold interviews and make selection of candidates for being appointed as such teachers ;

(*c*) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes specified in clause (*b*) ;

(*d*) to make recommendation to the management regarding the appointment of selected candidates ;

(*e*) to obtain periodical returns or other informations from colleges regarding strength of the teaching staffs and the appointment, dismissal, removal, termination or reduction in rank of teachers therein ;

(*f*) to fix the emoluments and travelling and other allowance of the experts and examiners ;

(*g*) to administer the funds placed at the disposal of the Commission;

(*h*) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed or as may be incidental or conducive to the discharge of the above functions.

Management to make appointments etc. only on the recomdations of Commission.

12. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 or in the Statutes made thereunder, every appointment as a teacher of any college shall, after the date notified under sub-section (1) of section 3, be made by the management only on the recommendation of the Commission.

(2) For the purpose of making appointment of a teacher under sub section (1), the management shall notify the vacancy to the Commission.

(3) The manner of selection of persons for appointment to the posts of teachers of a college shall be such as may be determined by regulations :

Provided that the Commission shall, with a view to inviting talented persons, give wide publicity in the State to the vacancies notified under sub-section (2).

(4) The provisions of this section shall not apply to the appointment of a teacher, vacancy in respect whereof has been advertised in accordance with sub-section (10) of section 31 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 at any time before the commencement of this Act.

(5) Every appointment made in contravention of the provisions of this section shall be void.

Recommendation of the Commission.

13. (1) The Commission shall, as soon as possible, after the notification of vacancy under sub-section (2) of section 12, hold interview (with or without examination) of the candidates, and recommend the names of not more than three candidates for appointment to every post of a teacher. Such names shall be arranged in order of preference.

(2) Where the candidates referred to in sub-section (1) fail to join the post or where they are otherwise not available for appointment, the Commission may, on the request of the management recommend up to two more names of persons found suitable on the basis of the examination or interview held under the said sub-section.

(3) Every recommendation of the Commission under sub-section (1) or sub-section (2) shall be valid for a period of one year from the date of such recommendation.

Duty to make appointments.

14. (1) The management shall, within a period of one month from the date of receipt of recommendation of the Commission under section 13 issue appointment letter to the candidate whose name appears on the top in the order of preference.

(2) Where the candidate referred to in sub-section (1) fails to join the post within the time allowed in the appointment letter, or within such extended time as the management may allow in this behalf, or where such candidate is otherwise not available for appointment, the management shall within a reasonable period issue appointment letter to the next candidate recommended by the Commission and the process shall be repeated till the names of the candidates so recommended are exhausted.

Inquiry by Director.

15. (1) Where any person is entitled to be appointed as a teacher in any college in accordance with sections 12 to 14, but he is not so appointed by the management within the time provided therefor, he may apply to the Director for a direction under sub-section (2).

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the Director may hold an inquiry, and if he is satisfied that the management has failed to appoint the applicant as a teacher in contravention of the provisions of this Act, he may by order, require—

(*a*) the management to appoint the applicant as a teacher forthwith, and to pay him salary from the date specified in the order; and

(*b*) the Principal of the College concerned to take work from him as a teacher.

(3) The amount of salary, if any, due to such teacher shall, on a certificate issued by the Director, be recoverable by the Collector as arrears of land revenue.

Appointment of *ad hoc* teachers.

16. (1) Where the management has notified a vacancy to the Commission in accordance with sub-section (2) of section 12, and the Commission fails to recommend the names of suitable candidates in accordance with sub-section (1) of that section within three months from the date of such notification, the management may appoint a teacher on purely *ad hoc* basis from amongst the persons holding qualification prescribed therefor.

(2) Every appointment of an *ad hoc* teacher under sub-section (1) shall cease with effect from the earliest of the following dates, namely—

(*a*) when the candidate recommended by the Commission joins the post;

(*b*) where the period of two months from the date of receipt of the recommendation of the Commission under sub-section (1) of section 12 expires ;

(*c*) thirtieth day of June following the date of such *ad hoc* appointment.

Power to call for information.

17. The Commission may require the management of any college to submit such information or return regarding the matters referred to in section 11 as it thinks fit, and the management shall be bound to comply with the same.

Power to inspect records, register etc.

18. The Secretary or any other officer authorised by the Commission shall have access to every record, register or document in possession of the management and he may enter at any reasonable time, any premises where he believes such record, register or document to be, and may inspect and take copies of relevant records or documents.

CHAPTER IV

Annual Reports and Accounts

Payment to the Commisssion.

19. The State Government may, after due appropriation made by law in this behalf, pay to the Commission in each financial year such sum as may be considered necessary for the performance of the functions of the Commission under this Act.

Fund of the Commission.

20. (1) The Commission shall have its own Fund, and all sums paid to it by the State Government and all receipts of the Commission shall be carried to the Fund and all payments by the Commission shall be made therefrom.

(2) All moneys belonging to the Fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as may, subject to the approval of the State Government, be decided by the Commission.

(3) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing its functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the fund of the Commission.

Annual Reports.

21. The Commission shall prepare once every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year, and copies thereof shall be forwarded to the State Government, and the State Government shall cause the same to be laid before both the Houses of the State Legislature.

Accounts and Audit.

22. (1) The Commission shall cause to be maintained such books of accounts and other books in relation to its account, in such form and in such manner as the State Government may, by general or special order direct.

(2) The Commission shall as soon as may be after closing its annual accounts, prepare statement of accounts in such form and forward the same to the Accountant General, by such date as the State Government may, in consultation with the Accountant General determine, for audit under section 14 of the Comptroller and Auditor Generals' (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 971.

(3) The annual accounts of the Commission together with the audit report thereon shall be forwarded to the State Government and the Government shall cause the same to be laid before both Houses of the State Legislature.

CHAPTER V

Miscellaneous

Delegation.

23. The Commission may, by regulations made under section 31, delegate to its Chairman or any of its members or officers, its power of general superintendence and direction over the business transacted by, or in, the Commission including the powers with regard to the expenditure incurred in connection with the maintenance of the office and internal administration of the Commission.

Exemptions to minority Institutions.

24. Notwithstanding anything contained in this Act, the management of any college established by a minority based on religion or language which the minority has the right to administer, shall be entitled to appoint, dismiss, remove, terminate the services of or reduce in rank a teacher or take other disciplinary measures subject only to the approval of the Commission and of the University concerned.

Punishment for contravention of the provisions of the Act.

25. Any person who fails to comply with the recommendations of the Commission or with the orders of the Director made in accordance with the provisions of this Act, or appoints a teacher in contravention of the provisionrs of this Act, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

Punishment for failure to furnish information or wilful obstruction.

26. If any person—

(*a*) wilfully withholds or fails to furnish any return or information lawfully required by the Commission within the time allowed therefor ;

(*b*) wilfully obstructs any person from duly carrying out all or any of the provisions of this Act, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

Offences by societies.

27. (1) If the person committing the offence under section 25 or section 26 is a society registered under the Societies Registration Act, 1860, the society a well as every person incharge of and responsible to the society for the conduct of its business at the time of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a registered society and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of offence is attributable to any neglect on the part of any member of the society, such member shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Bar against prosecution.

28. No prosecution for the offence under this Act shall be instituted except with the previous sanction of the Director or such officer or authority as the State Government may, by general or special orders, specify in this behalf.

Protection of action taken in good faith.

29. No suit, prosecution or other proceeding shall lie against any person for anything which is in goodfaith done or intended to be done under this Act.

Act to have overriding effect.

30. The provisions of this Act, shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 or the Statutes or Ordinances made thereunder.

Power to make regulations.

31. (1) The Commission may, with the previous approval of the State Government, make regulations prescribing fees for holding selections, conducting examinations where necessary, holding interviews and laying down the procedure to be followed by the Commission for discharging its duties and performing its functions under this Act.

(2) The regulations made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act or the rules made under section 32.

Power to make Rules.

32. The State Government may, by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.

By order

R C. DEO SHARMA,

Sachiv

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 165 सा० (विधा०) —3-10-20-(2190)-1980-800 (मैके०)।